SOUTH CENTRAL RAILWAY SC DIVISION - ALERT ADVICE No. 01/2025

No.sfy-12/SC/AA-01/2025

Date: 15.01.2025

Sub: Shunting instructions and precautions.

On 24.11.2024 at about 21.30 hrs at SC yard, light engine movement carried out from Pf no. 7 to platform no. 09 via south line, from Pf no.9 towards KCG direction, Shunter failed to ensure that shunt signal no. SH 59(C) is taken off condition and passed at "ON" and trailed through the point.

Where shunting operations are supervised by Train manager /Station Master, Loco Pilot shall be given T/806 (Shunting Instructions Form) duly filled the relevant columns. At major stations where separate staff viz., Outdoor Station Master/Yard Master/Shunting Jamedar/Shunting Master are provided for supervising the shunting, form No. T/806 need not be given. Such stations shall be notified by the respective Sr. DOM.

Shunting Instructions:

1. Shunting operations shall be controlled by fixed signals or hand signals or by verbal directions.

2. Outer signal, Home signal and Last Stop Signal should not be taken 'off' for

shunting purpose.

3. If Advanced Starter is provided, free Starter can be taken 'off' for shunting

purpose.

- 4. When a fixed shunt signal on a post by itself or below a Stop signal or Shunting Permitted Indicator (SPI) becomes defective, T/369 (3b) shall be issued and Proceed Hand Signal should be shown from the foot of such defective signal after ensuring the correct setting and locking of points.
- 5. In case the shunt movements are governed by Shunt signal or Starter signal, which detects the facing points, the Shunt/Starter signal shall be taken 'off' and in all other cases, the facing points shall be clamped/cotter bolted and padlocked.
- 6. When shunting is required to be carried out for attaching or detaching coaches/slip coaches on mail/express and passenger trains, the shunting engine with or without coaches/ slip coaches shall first come to a halt 20 metres away from the train and thereafter perform the shunting carefully. These precautions need to be taken when train engine is being attached to the train.
- 7. On single line sections, no shunting (even within station section) shall be done in that direction, once Line Clear is granted except where shunting in the face of an approaching train is permitted in SWR (i.e. once Line Clear is granted to a down train, no shunt movement shall take place in up direction). On double line section, shunting within the station section can be carried out when line clear is granted for a train, provided the necessary signals are kept at on.
- 8. Shunting beyond LSS on Double Line, the line shall be block forward and then take 'off' Shunt signal (if any) provided below LSS or give T/806 with PN or give the key extracted from LSS lever lock (where provided).
- 9. Shunting into the block section in rear on double line is to be done (outside Home signal in TAS and outside outer most facing points/BSLB in MAS), the

line should be blocked back and T/806 with PN should be given to the Loco Pilot to do the shunting in the rear block section.

10. The speed during shunting operations shall not exceed 15kmph.

11. Shunting instructions mentioned in SWR to be followed scrupulously.

Shunting Precautions:

1. The Loco Pilot / Shunter shall not, however, depend entirely on signals and shall always be vigilant and cautious.

2. When a Shunt signal is taken 'OFF', it authorises the Loco Pilot to draw

ahead with caution for shunting purposes.

- 3. The Loco Pilot / Shunter shall not pass Shunt signal at 'ON' or a defective Shunt signal without an authority T.369 (3b) + PHS.
- 4. The Loco Pilot shall, before moving on the Stop signal taken 'OFF' for him, observe the hand signals of the Railway servant conducting shunting, whenever necessary.

5. In case of any doubt or when the line is not clear of obstruction, the engine(s) shall be accompanied and hand signalled by Shunting Staff.

6. Arrange Shunting staff and hand signals wherever required as per rules in addition to Shunt signal / Starter signal taken 'OFF'.

7. In the course of shunting, vehicles detached from the formation / engine shall be secured as per the rules.

8. Before allowing the shunt movement ensure that skids / wedges, chains are removed.

9. Don't allow any movement (backing) over trailed through point.

LP/Shunter while performing shunting with or without formation on running lines protected by signals or on non-running lines not protected by signals:

- ➤ In case of electric traction loco do not forget to change the cab (SR 4.21).
- > In case of diesel traction loco with dual cab do not forget to change the cab (SR 4.21).
- ➤ In case of diesel traction loco with conventional locos single do not forget to change the control stand (RB letter No. 2014/M (L)/466/7101.Misc dated 13.3.2015).
- > After cab changing, conduct brake feel test as per SOB No 27/2024, dt 28.11.2024.

Walkie-Talkie sets: JPO issued by COM/G & CELE for use of Walkie-Talkies for communication between shunting staff and Loco Pilot/ Shunter during Shunting dated. 23.08.23 should be invariably followed during shunting operations.

The above instructions may be given wide publicity and counsel the staff accordingly to avoid unusual incidents during shunting operations. Hence, every effort to be made to avoid unusual incidences.

त्र. सुरश] वरि. मंसंधि/सिकं [A. Suresh] Sr. DSO/SC

Copy to:DRM/SC for kind information.

ADRM/O/SC and ADRM/I/SC for kind information.

All Branch Officers for information and necessary action pl All Field Supervisors for information and necessary action.

<u>दक्षिण मध्य रेलवे</u> सिकंदराबाद मंडल – चेतावनी सूचना सं. 01/2025

सं.एसएफवाई-12/एससी/एए-01/2025

दिनांक: 15.01.2025

विषय: शंटिंग अनुदेश और पूर्वापाय.

सिकंदराबाद यार्ड में दि. 24.11.2024 को लगभग 21.30 बजे, बरास्ता दक्षिण लाइन प्लैटफॉर्म सं.7 से प्लैटफॉर्म सं.09 तक, काचीगुडा की दिशा की ओर प्लैटफॉर्म सं.9 से लाइट इंजन संचलन किया गया, शंटर यह सुनिश्चित करने के लिए असमर्थ रहा कि शंट सिगनल नं. एसएच 59(सी) को ऑफ किया गया है और ऑन पर पास हुआ है और पाइंट से होकर गुज़रा है.

जहां शंटिंग संचालन की निगरानी गाड़ी प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वारा की जाती है, वहां लोको पायलट को संबंधित कॉलम में विधिवत भरा हुआ टी/806 (शंटिंग निर्देश फॉर्म) दिया जाएगा. बड़े स्टेशनों पर जहां शंटिंग की निगरानी के लिए अलग-अलग कर्मचारी जैसे आउटडोर स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर/शंटिंग जमादार/शंटिंग मास्टर उपलब्ध हैं, वहां फॉर्म नंबर टी/806 देने की जरूरत नहीं है. ऐसे स्टेशनों को संबंधित वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा.

शंटिंग अनुदेश:

- 1. शंटिंग परिचालन को फिक्सड सिगनलों या हथ सिगनलों या मौखिक निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.
- 2. शंटिंग के उद्देश्य से आउटर सिगनल, होम सिगनल और अंतिम रोक सिगनल को ऑफ नहीं किया जाना चाहिए.
- 3. यदि एडवान्स सिगनल उपलब्ध कराया गया है, तो शंटिंग प्रयोजन के लिए फ्री स्टार्टर को ऑफ किया जा सकता है.
- 4. जब किसी पोस्ट पर स्वयं या स्टॉप सिगनल या शंटिंग अनुमत संकेतक (एसपीआई) के नीचे लगा हुआ स्थिर शंट सिगनल खराब हो जाता है, तो टी/369 (3बी) जारी किया जाएगा और पाइंट्स की सही सेटिंग और लॉकिंग सुनिश्चित करने के बाद ऐसे खराब सिगनल के नीचे से प्रोसीड हैंड सिगनल दिखाया जाना चाहिए.
- 5. यदि शंट की गतिविधियां शंट सिगनल या स्टार्टर सिगनल द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो फेसिंग पाइंटों का पता लगाता है, तो शंट/स्टार्टर सिगनल को 'ऑफ' कर दिया जाएगा और अन्य सभी मामलों में, फेसिंग पाइंटों को क्लैम्प/कोटर बोल्ट और पैडलॉक किया जाएगा.
- 6. जब मेल /एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों पर कोचों/स्लिप कोचों को अटैच या डिटैच करने के लिए शंटिंग की आवश्यकता होती है, तो कोचों/स्लिप कोचों के साथ/के बिना शंटिंग इंजन को पहले गाड़ी से 20 मीटर दूर रुकना चाहिए और उसके बाद सावधानीपूर्वक शंटिंग करनी चाहिए. गाड़ी इंजन को गाड़ी से जोड़ते समय भी इन पूर्वापायों का पालन करने की आवश्यकता है.
- 7. सिंगल लाइन सेक्शनों पर, लाइन क्लियर मिलने के बाद उस दिशा में कोई शंटिंग (स्टेशन सेक्शन के भीतर भी) नहीं की जाएगी, लिवाय इसके कि जहां स्टेशन संचालन नियम में आनेवाली गाड़ी के सामने शंटिंग की अनुमित दी गयी है. अर्थात् एक बार डाउन गाड़ी को लाइन क्लियर मिलने के बाद, अप दिशा में कोई शंट संचलन नहीं होगा). डबल लाइन सेक्शन पर, स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग तब की जा सकती है जब किसी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर दी जाती है, बशर्ते आवश्यक सिगनल चालू रखे जाएं.
- 8. डवल लाइन पर एलएसएस के आगे शंटिंग करते समय, लाइन को ब्लॉक फारवर्ड किया जाएगा और उसके वाद शंट सिगनल (यदि कोई हो) को ऑफ किया जाएगा जो एलएसएस के नीचे उपलब्ध है या प्राइवेट नंबर के साथ टी/806 दिया जाएगा या एलएसएस लीवर लॉक (जहां उपलब्ध हो) से निकाली गयी चाबी दी जाएगी.
- 9. दोहरी लाइन पर पीछे के ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की जानी है (टीएएस में होम सिगनल के बाहर और एमएएस में सबसे वाहरी फेसिंग पॉइंट्स/बीएसएलबी के बाहर), लाइन को वापस ब्लॉक किया जाना चाहिए और पीछे के ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए लोको पायलट को प्राइवेट नंबर के साथ टी/806 दिया जाना चाहिए.

- 10. शंटिंग परिचालनों के दौरान गति 15 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नहीं होगी.
- 11. दोहरी लाइन पर पीछे के ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की जानी है (टीएएस में होम सिग्नल के वाहर और एमएएस में सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट्स/बीएसएलबी के बाहर), लाइन को वापस ब्लॉक किया जाना चाहिए और पीछे के ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए लोको पायलट को पीएन के साथ टी/806 दिया जाना चाहिए.
- 12. स्टेशन संचालन नियम में उल्लिखित शंटिंग अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

शंटिंग पूर्वोपाय:

- 1. तथापि, लोको पायलट/शंटर को पूरी तरह सिगनलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए.
- 2. जब शंट सिगनल को 'ऑफ' किया जाता है, तो यह लोको पायलट को शंटिंग प्रयोजन के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत करता है.
- 3. लोको पायलट/शंटर प्राधिकार टी. 369(3बी) + पीएचएस के बिना शंट सिगनल को या खराव शंट सिगनल को 'ऑन' पर पार नहीं करेगा.
- 4. लोको पायलट को उसके लिए ऑफ किए गए स्टॉप सिंगनल पर आगे वढ़ने से पहले, जब भी आवश्यक हो, शंटिंग करनेवाले रेल सेवक के हथ सिंगनलों को देखेगा.
- 5. किसी भी संदेह की स्थिति में या जब लाइन अवरोध से क्लियर न हो, तो इंजन के साथ शंटिंग स्टाफ को आना होगा और हाथ से संकेत देना होगा.
- 6. शंट सिगनल/स्टार्टर सिगनल को 'ऑफ' करने के अलावा, जहां भी आवश्यक हो, नियमानुसार शंटिंग स्टाफ और हैंड सिगनल की व्यवस्था करें.
- 7. शंटिंग के दौरान, फॉर्मेशन/इंजन से डिटैच किए गए वाहनों को नियमों के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा.
- 8. शंट संचलनों को अनुमति देने से पहेँले, यह सुनिश्चित करें कि स्किड/वेज, जंजीरों को हटाया गया है.
- 9. ट्रेल श्रू पाइंट पर किसी भी संचनल (बैर्किंग) को अनुमति न दें.

लोको पायलट/शंटर सिगनलों द्वारा सुरक्षित रिनंग लाइनों पर या सिगनलों द्वारा सुरक्षित न किए गए गैर-रिनंग लाइनों पर फॉर्मेशन के साथ या के बिना शंटिंग करते समय :

- विद्युत कर्षण लोको के मामले में कैब को बदलना न भूलें (स.नि. 4.21).
- ड्युअल कैव के साथ डीज़ल कर्षण लोकों के मामले में कैब को बदलना न भूलें (स.नि. 4.21).
- पारंपरिक लोको सिगंल के साथ डीज़ल कर्षण लोको के मामले में कंट्रोल स्टैंड को परिवर्तित करने के लिए न भूलें. (रेलवे बोर्ड का दि. 13.3.2015 का रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/एम(एल)/466/7101.
- > कैव को वदलने के बाद, दि. 28.11.2024 के एसओबी सं. 27/2024 के अनुसार ब्रेक फील टेस्ट आयोजित करें.

वाकी-टाकी सेट: शंटिंग के दौरान शंटिंग कर्मचारी और लोको पायलट/शंटर के बीच संपर्क के लिए वाकी – टाकी का उपयोग करने के लिए मुपरिप्र/सा और सीईएलई द्वारा दि. 23.08.23 को जारी जेपीओ का अवश्य पालन किया जाना चाहिए.

उपर्युक्त अनुदेशों का व्यापक प्रचार किया जाए और शंटिंग परिचालनों के दौरान असाधारण घटनाओं से बचने के लिए कर्मचारियों को तदनुसार परामर्श दिया जाए. अतः असाधारण घटनाओं से बचने के लिए हर संभवे प्रयास किया जाए.

[ए. सुरेश] वरि.मंसंधि/सिकंदराबाद

प्रतिलिपिः मंरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ. अमंरेप्र/प्रचा/सिकंदराबाद और अमंरेप्र/इन्फ्रा/सिकंदराबाद को सूचनार्थ. सभी शाखा अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए. सभी फील्ड पर्यवेक्षकों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए.